मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 1975

एफ. क्रमांक 6-1-75-3-एक

प्रति,

समस्त आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश शासन.

विषय.—जिला स्तर पर विभागीय जांच करने के लिये जांच प्राधिकारी की नियुक्ति.

सामान्य प्रशासन विभाग की परामर्श समिति द्वारा यह सुझाव रखा गया कि जिस प्रकार राज्य स्तर पर विभागीय जांच आयुक्त का पद है उसी प्रकार जिला स्तर पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में विचार किया जाये जो सभी विभागों से संबंधित विभागीय जाच कर सके.

2. मुख्य सचिव के दिनांक 13 मई 1970 के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 198-प्र. स. को-70 में यह आदेश दिये गये थे कि प्रत्येक जिले में एक डिप्टी कलेक्टर को सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभागों के शासकीय सेवकों से संबंधित जांचे सौंपी जाये. उपर्युक्त परामर्श समिति के सुझाव पर विचार करने के बाद शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में कार्य करने वाले सभी विभागों के जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध की ऐसी विभागीय जांचे, जिनमें भ्रष्टाचार होने का संकेत हो या ऐसे प्रशासकीय मसले हों, जिनके कारण संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच करना उचित एवं वांछनीय प्रतीत न होता हो, उस डिप्टी कलेक्टर को, कलेक्टर की पुर्वानुमति लेकर सौंपी जाये, जिसे कलेक्टर द्वारा इस कार्य के लिये मनोनीत किया गया है. इसके लिये हर एक कलेक्टर अपने विवेक से अपने जिले में एक डिप्टी कलेक्टर को इस कार्य के लिये मनोनीत कर दें व जिला स्थित सभी विभागों के जिलाधिकारियों को इसकी सूचना दे दें. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण प्रशासकीय मामलों की जांच करने के लिये ही अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (5) (ख) के अन्तर्गत कलेक्टर की पूर्वानुमति से डिप्टी कलेक्टर को जांच प्राधिकारी नियुक्त किया जाये. अन्य किस्म की विभागीय जांचे विभाग के अधिकारी ही किया करें.

3. यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर ही प्रारंभ की जा रही है. यदि अनुभव के आधार पर आवश्यकता हुई तो जिस जिले में यह कार्य अधिक होगा वहां डिप्टी कलेक्टर के संवर्ग में अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.